34

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 34 (x) /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा श्रीचरणपुर थाना नं0 160 खाता नं0 129 प्लॉट नं0 43 रकबा 0.5570 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 के पृष्ट संख्या अभिलेखान पर जमाबंदी रैयत झारखण्ड सरकार के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए। अभिलख दिनांक 11-8-16 को उपस्थापित करे। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी, तोपचाँची 28.7.16	

तिथि	
10/8/20	अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में.....गौरी शंकर दास.....द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष.......—.......तक भुगतान किया गया है।

मौजा-.....सोहरावाद.........थाना नं०...160...खाता नं०....129..

प्लाट नं०..43.... रकवा.....05 2/6....कुल.....05 2/6.

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-

1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं होने से इंकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अत: मौजा-.....सोहरावाद..........थाना नं०..160.....खाता नं०...129...

प्लाट नं०...43... रकवा.......05 2/6...कुल.................धूर, कुल........05 2/6.........धूर,भूमि जो प्रतिवादी.....सोना राम चमार..... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

10/8/20
अंचल अधिकारी
तोपचाँची।

10/8/20
अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

Scanned with CamScanner

H.N.X (34)

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :— सोना राम चमार / पिता ...
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण —

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
शीषाबाद	160	129	43	05 डी0

3. जमाबंदी पंजी- II के जिल्द संख्या .... पृष्ठ सं0 खतियान पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है — 1965-66
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :— झारखण्ड सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :—
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :—
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोबस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) खतियान से
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष —

क0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

Scanned with CamScanner

(35)

अंचल अधिकारी का कांर्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 ...34(x)... / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

...सोनाराम चमार...

पिता – ...मोती चमार...

ग्राम – ...अहियाबाद... पों0 ...

थाना – ... जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा ...अहियाबाद... थाना नं0...160... खाता नं0...124... प्लॉट नं0...43... रकवा...05540... एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0...10... के पंजी II भाग... के पृष्ठ ... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक...11-8-16... को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :–

स्थान :– तोपचॉची

अंचल अधिकारी

तोपचॉची

28.7.16

कार्यालय अंचल अधिकारी तोपचाँची

धनबाद

सोनाराम चमार के पुत्र का हो

yugal Das

अंचल अधिकारी कार्यालय, तोपचाँची (धनबाद)
वाद अभिलेख सं० 34(x). 2016-17

Banerjee
11/8/16

विषय - भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकूमनामा समबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन कहना है कि मैं स्व मोतीलाल चमार के पुत्र सोनाराम चमार ग्राम -सिधाबाद मौजा नः 160 खाता नं० 129 प्लॉट नं० 43 रकवा 05 डि० जो सोनाराम चमार स्व पिता मोती लाल चमार नाम से भूमि बंदोवस्ती जो था उसका कोई कागजात एवं रसीद नहीं है होने के कारण रसीद एवं बंदोवस्ती नहीं करावा पाये.

Put up in record
13/8/16

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सोनाराम चमार स्व पिता मोतीलाल चमार के पुत्र सोनाराम चमार के नाम से बंदोबस्ती कागजात उपलब्ध करने की कृपा करे,

आपका विश्वासी
गौरीशंकर दास
पिता -सोनाराम चमार
ग्राम- सीधाबाद
जिला- धनबाद

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कांर्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 34(x)........ / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

सोना राम चमार..........................

पिता – मोहित चमार..........................

ग्राम – अधिकाबाद............ पों0 तोपचाँची..........................

थाना – तोपचाँची.................. जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा अधिकाबाद.................. थाना नं0 160.................. खाता नं0 129.............. प्लॉट नं0 43.................................. रकवा 0.6510.............. एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 10.............. के पंजी II भाग...................... के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 11-8-16.............. को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

मुहर

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

28.7.16

Scanned with CamScanner